



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 567 राँची, मंगलवार, 3 सितम्बर, 2024 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त, 2024

अधिसूचना सं० - पर्य./स्था.-37/2020-12--श्री उपवन बाड़ा] तत्कालीन जिला क्रीड़ा पदाधिकारी] हजारीबाग] सम्प्रति - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी] लोहरदगा पर गठित आरोप के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में श्री गणेश कुमार] भा.प्र.से.(से.नि.)] संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-1 को पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं पाया गया, जबकि आरोप सं.-2 के संदर्भ में श्री उपवन बाड़ा] ता. जिला क्रीड़ा पदाधिकारी] हजारीबाग (वर्तमान पदस्थापन लोहरदगा) का आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल नहीं पाया गया ।

इस प्रकार आरोप सं.-1 से श्री बाड़ा को पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं किया गया है अर्थात श्री बाड़ा आंशिक रूप से दोषी हैं ।

अतः प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण] नियंत्रण एवं अपील) नियमावली] 2016 के भाग- V के नियम-14(i) के तहत “निंदन” की लघु शास्ति अधिरोपित करते हुए उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है ।

2- इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के उप सचिव ।
